बूथ लेवल आफिसर ई-पत्रिका

राष्ट्रीय मतदाता दिवस विशेष संस्करण

वॉल्यूम ३ - १६ जनवरी २०२३

संदेश

श्री राजीव कुमार
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

राष्ट्रीय मतदाता दिवस २०२३ की दहलीज़ पर बीएलओ ई-पत्रिका का तीसरा संस्करण प्रस्तुत करके आयोग को गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष २०११ से देश ने २५ जनवरी को, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) के रूप में मनाया है क्योंकि वर्ष १९५० में इसी दिन इसका गठन हुआ था।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन विषयों में जागरूकता लाना और मतदाता पंजीकरण को, विशेषकर नए-नए पात्र बने व्यक्तियों के लिए, बढ़ावा देना, आसान बनाना और इष्टतम रूप देना है। बूथ लेवल अधिकारी, जो क्षेत्र में आयोग के प्रतिनिधि होते हैं, मतदाता पंजीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

बीएलओ ई-पत्रिका के चालू अंक में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की सम्पूर्ण रूपरेखा और बूथ लेवल अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। क्षेत्र में कार्यरत हमारे १०.३७ लाख बीएलओ अपने कर्तव्य निष्पादन में आगे और अच्छा करने के लिए निश्चित रूप से इसका ज्ञान-साधन के रूप में उपयोग करेंगे।

(राजीव कुमार)

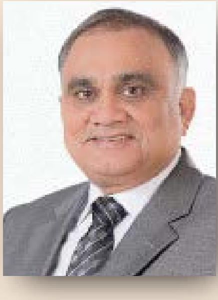

संदेश

श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय
निर्वाचन आयुक्त

मुझे यह जानकर अत्यधिक खुशी हुई कि बीएलओ ई-पत्रिका का तीसरा संस्करण इस देश के कोने-कोने में फैले हमारे बूथ लेवल अधिकारियों को पेश किया जा रहा है। यह क्षण विशेष है क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) समीप है। समय के साथ-साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस ने औपचारिक रूप ले लिया है।

यह पत्रिका भारत निर्वाचन आयोग को देश भर के १० लाख से अधिक मतदान केंद्रों से जुड़े ९५ मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ जोड़ती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतंत्र का दुनिया में सबसे बड़ा साथ-साथ मनाया जाने वाला उत्सव है जो भारतीय निर्वाचन प्रणाली, भारत निर्वाचन आयोग और हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति और स्थायित्व को निर्देशित करता है।

हमारे बूथ लेवल अधिकारी क्षेत्र में आयोग के दूत हैं। इसलिए, यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे निर्वाचकों की अधिक से अधिक सहभागिता के साथ अपने-अपने बूथों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की मूल भावना के साथ समारोहों का आयोजन कर पाएं, इसके लिए उन्हें मतदाता जागरूकता और फैसिलिटेशन उपायों से अच्छी तरह से अवगत कराया जाए।

बीएलओ ई-पत्रिका का तीसरा संस्करण हमारे बूथ लेवल अधिकारियों को नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा जिससे वे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे और कार्यक्षेत्र में लोकतांत्रिक भावना को सुदृढ़ करने के लिए हर्षोल्लास और समर्पण के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस २०२३ मनाएंगे।

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

संदेश

श्री अरुण गोयल
निर्वाचन आयुक्त

हमारे कर्मनिष्ठ नायकों - बूथ लेवल अधिकारियों के लिए बीएलओ ई-पत्रिका का तीसरा संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह सचमुच एक विशेष अवसर है क्योंकि २५ जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा।

यदि मतदाता हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक है, तो हमारे बीएलओ इस प्रक्रिया में सबसे निकट मौजूद सुविधा-प्रदाता हैं। मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में उनका सतत योगदान निर्वाचन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

वार्षिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह बूथ लेवल अधिकारियों के लिए, आयोग द्वारा यथाविहित अन्य आज्ञापक कर्तव्यों के साथ, मतदाता जागरूकता का प्रसार करने का एक और अवसर है। यह पत्रिका सभी बूथ लेवल अधिकारियों के लिए एक साधन-सम्पन्न मार्गदर्शिका का काम करेगी।

यह बूथ लेवल अधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे नागरिकों और अपने क्षेत्र के लिए और अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ सेवा मुहैया कराने के लिए रचनात्मक और उत्साहजनक तरीके से अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें।

(अरुण गोयल)

संपादन समिति

एन.एन. बुटोलिया
वरि. प्रधान सचिव
(निर्वाचक नामावली)

अशोक कुमार
निदेशक (आई.टी.)

कुलदीप कुमार सहरावत निदेशक
(आईआईआईडीईएम-प्रशिक्षण)

एस. सुंदर राजन
निदेशक (ईवीएम)

दिपाली मासिरकर
निदेशक (निर्वाचन योजना)

संतोष अजमेरा
निदेशक (स्वीप)
सदस्य संयोजक

संपादन दल

आर.के. सिंह
समन्वयक स्वीप

अनुज चांडक
संयुक्त निदेशक (स्वीप)

नूपुर प्रवीण
कम्युनिकेशन कन्सल्टेंट

ईशा खान
ग्राफिक डिजाइनर

हिंदी अनुवाद

प्रशांत कुमार
सहा. निदे. (रा.भा)

बूथ स्तरीय कार्यनीति

स्वीप-IV कार्यनीतिक फ्रेमवर्क (२०२२-२५) में यह अपेक्षा की गई है कि ऐसी महत्वपूर्ण कार्यनीतियां तैयार की जाएं जिनसे मतदाता तक निर्वाचन भागीदारी की सभी पहलुओं को मनमोहक तरीके से पहुंचाया जाए।

- बूथ/मतदान केंद्र स्तरीय योजना और कार्रवाई
- निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मतदाता टर्नआउट
- समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए लक्षित पहल
- प्रमुख कार्यक्रमों (ईएलसी, एसएसआर, एनवीडी) को कारगर बनाना
- भागीदारी और सहयोग का लाभ उठाना
- प्रभावी संप्रेषण, आउटरीच और मीडिया अभियान

आइए हम बीएलओ को उनके दायित्वों का बोध कराने के लिए बूथ/मतदान केंद्र स्तर की योजना और कार्रवाई पर नजर डालते हैं।

बूथ स्तर पर तीन प्रमुख हितधारक हैं

- मतदाता
- बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ)
- बूथ स्तरीय जागरूकता समूह (बीएजी) और अन्य भागीदार

बूथ स्तरीय कार्यनीति में सटीक, विशिष्ट रूप से निर्मित आउटरीच और पारस्परिक संदेश पहुंचाने, और सामाजिक रूप से प्रेरित एवं जागरूक करने की शक्ति होती है ताकि तटस्थ और यहां तक कि प्रतिरोध करने वाले मतदाताओं को भी प्रेरित किया जा सके। आगे वर्णित नानाविध दायित्वों को पूरा करने के लिए बीएलओ को जमीनी स्तर के पदधारियों के साथ एक टीम (स्वयं टीम लीडर होने के नाते) के रूप में कार्य करने की जरूरत है।

बूथ कार्यनीति की दो प्रमुख पहलू हैं

- पंजीकरण
- मतदान

बीएलओ को क्या करना चाहिए?

मतदाता पंजीकरण

- बीएलओ को एसएसआर के दौरान सघन स्वीप गतिविधि के लिए पहले से तैयारी अवश्य करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके बूथ में भावी, नए–नए पात्र बने और शामिल होने से रह गए सभी मतदाताओं से संपर्क किया जा सके, उन्हें जानकारी दी जा सके, और पंजीकरण (प्ररूप ६) के लिए मौके पर ही आवेदन करने में उन्हें सुविधा/सहायता प्रदान की जा सके।
- प्रत्येक महीने के पहले रविवार को सुबह १० बजे से दोपहर २ बजे तक एक मासिक सत्र – 'मासिक मतदाता बैठक' का आयोजन किया जाए ताकि नागरिकों को पंजीकरण, सुधार, सूचना और अन्य चुनाव संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सके और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक गांव में बीएलओ द्वारा पढ़ी जा रही मतदाता सूची

निर्वाचक नामावली का अद्यतनीकरण

- बीएलओ को स्थिति विश्लेषण करना चाहिए और चालू निर्वाचक नामावली में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए और क्षेत्र का दौरा करके पंजीकरण और मतदाता टर्नआउट में मौजूदा खामियों की जांच करनी चाहिए।
- नए–नए पात्र बने, नए आने वाले और भावी मतदाताओं की पहचान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें नामांकित किए जाने में सहूलियत देनी चाहिए।
- दिव्यांगजनों और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित निर्वाचकों की भी पहचान की जानी चाहिए और निर्वाचक नामावली में उन्हें चिह्नित किया जाना चाहिए।
- फेमिली टैगिंग, आयु, रिश्ते का प्रकार और रिश्ते के नाम में त्रुटि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों में त्रुटियों की पहचान करने, मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने और सुधार/विलोपन के लिए संगत प्ररूप (फार्म) इकट्ठा करने के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण करना चाहिए।
- नियत प्रक्रिया का पालन करके सभी मृत, स्थानांतरित और न खोजे जाने योग्य निर्वाचकों के नामों को हटाकर प्रत्येक बूथ की निर्वाचक नामावली को दुरुस्त बनाएं। डीएसई/पीएसई का सत्यापन करें और डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटा दें।
- किसी मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचक की पहचान करने और उसका नाम विलोपित करने के लिए ८० वर्ष से अधिक आयु के सभी निर्वाचकों और २५ वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं का सत्यापन करें।
- नामावली की सभी प्रविष्टियों का सत्यापन करने और मृत एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों का नाम हटाने के लिए अत्यधिक ईपी और कम मतदान वाले बूथों पर ध्यान केंद्रित करें।
- फार्म–८ के माध्यम से निर्वाचक नामावली के सभी निर्वाचकों के मोबाइल नंबरों को जोड़ने का प्रयास करें।
- बीएलओ को अपने अधिकार क्षेत्र में नामांकित होने से रह गए सभी पात्र नागरिकों को नामांकित करने और प्रत्येक निर्वाचन में उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए।

मतदान–पूर्व दिन:

- बीएलओ को ऐसे पात्र निर्वाचकों का पंजीकरण करना चाहिए जिन्हें पिक–एंड–ड्रॉप सुविधा दी जानी है।
- बीएलओ को मतदान दिवस से काफी पहले अपने क्षेत्र के सभी निर्वाचकों में मतदाता पर्चियां, और मतदाता सहायता मार्गदर्शिकाएं अवश्य वितरित करनी चाहिए और मतदाता शपथ दिलवानी चाहिए।

मतदान दिवस पर:

- बीएलओ को निर्वाचक नामावली में अपना नाम ढूंढने में निर्वाचकों की सहायता करने के लिए बूथ पर हेल्पडेस्क का संचालन करना चाहिए।
- बीएलओ को स्वयंसेवकों की सहायता से यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित सहायता मिले।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस
कालांतर में...

लोकतंत्र की भावना का गुणगान करने और लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग २५ जनवरी, जो इसका स्थापना दिवस है, को वर्ष २०११ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाता है।

राष्ट्रीय, राज्य, जिला, निर्वाचन क्षेत्र स्तर से लेकर मतदान केंद्र क्षेत्रों में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों का उद्देश्य देशभर के सभी नागरिकों को निर्वाचन प्रणाली से जोड़ना है।

एसएसआर के दौरान देश के प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी पात्र मतदाताओं की पहचान करने, उन्हें नामांकित करने और २५ जनवरी के समारोह के दौरान उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) सौंपने के लिए भरपुर कोशिश की जाती है।

अभिनंदन समारोह के दौरान नव–नामांकित निर्वाचकों को उनके एपिक के साथ 'मतदाता होने पर गौरव–मतदान के लिए तत्पर' स्लोगन वाला बैज भी दिया जाता है। उन्हें शपथ भी दिलाई जाती है।

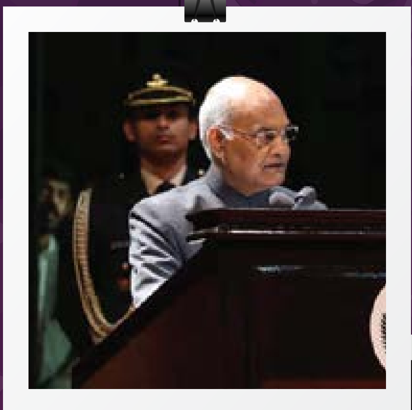

विगत कालखंड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों में शोभा बढ़ाती पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें

राष्ट्रीय मतदाता दिवस, २०२३ की थीम -

वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम

जैसे कि हम वर्ष २०२४ में १८वीं 'लोकसभा' के साधारण निर्वाचन के समीप आ रहे हैं, इससे इस थीम का महत्व और बढ़ जाता है। हम अक्सर इस तथ्य की अनदेखी कर देते हैं कि एक अधिकार और जिम्मेदारी होने के साथ–साथ मतदान हमारे भविष्य, हमारे समुदाय और हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने की दिशा में एक परिपूर्ण कर देने वाला अनुभव है।

निर्वाचनों के दौरान मतदान सामुदायिक विमर्श का अवसर उपलब्ध कराता है। अपने लोकतंत्र में हम जिस उदारता और समुत्थान–शक्ति का संवर्धन करते हैं, उसके अनेक तरीकों में एक तरीका नागरिक अनुष्ठानों जैसे कि निर्वाचन अवधि के दौरान साथी नागरिकों के साथ जुड़ना, के माध्यम से भी संभव होता है।

आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की थीम भारत निर्वाचन आयोग के आधार–वाक्य 'कोई मतदाता न छूटे' और 'प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है' की तर्ज पर है। आयोग प्रत्येक बीएलओ से अपेक्षा करता है कि वह भारत के नागरिकों को यह स्मरण कराए कि मतदान राष्ट्र निर्माण हेतु एक उत्तरदायित्व है। बीएलओ को अपने कार्यों, पहलों, और पूरे वर्ष चलने वाले जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को इस कर्तव्य की याद दिलानी चाहिए।

इसके अलावा, यह थीम मतपत्र में नागरिकों के भरोसे और वोट अवश्य करने के संकल्प को संपुष्ट करती है। यह प्रत्येक निर्वाचन में मतदान के प्रति प्रतिबद्ध सक्रिय एवं उत्साही मतदाताओं की परिकल्पना करती है। इसमें एक सशक्त, समावेशी और परिपूर्ण लोकतंत्र की अभिलाषा की गई है। बीएलओ का यह गुरूतर दायित्व है कि वह आयोग का यह विजन प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाए।

स्मार्ट बीएलओ

गरुड़ ऐप – वन स्टॉप समाधान

गरुड़ ऐप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह ऐप निर्वाचन सेवाएं हासिल करने में नागरिकों की सहायता करने और निर्वाचक नामावलियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फील्ड सत्यापन और अन्य एकाधिक कार्यकलापों के लिए १० लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

यह एप्लीकेशन उपयोग करने में आसान है और यह नाम सम्मिलित करने, स्थानांतरण, विलोपन और शुद्धि के लिए फार्मों को प्रोसेस करने में बहुत सारा पेपरवर्क और समय बचाता है। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड के साथ–साथ आईओएस दोनों रूपों में उपलब्ध है।

नई विशेषता – पीएसई/डीएसई सत्यापन

निर्वाचक नामावली की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए आयोग द्वारा की गई यह एक नई पहल है। यह प्रणाली एक राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में मिलती–जुलती फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) और मिलती–जुलती जनांकिकी वाली प्रविष्टियों (डीएसई) की पहचान करती है। ईआरओ पीएसई/डीएसई की सूची निकालता है, जिसमें वह मैनुअल सत्यापन या गरुड़ ऐप के माध्यम से सत्यापन के विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है। इस क्रियाकलाप से आयोग को निर्वाचक नामावली से डुप्लीकेट/बहुल प्रविष्टियों को हटाने में मदद मिलती है।

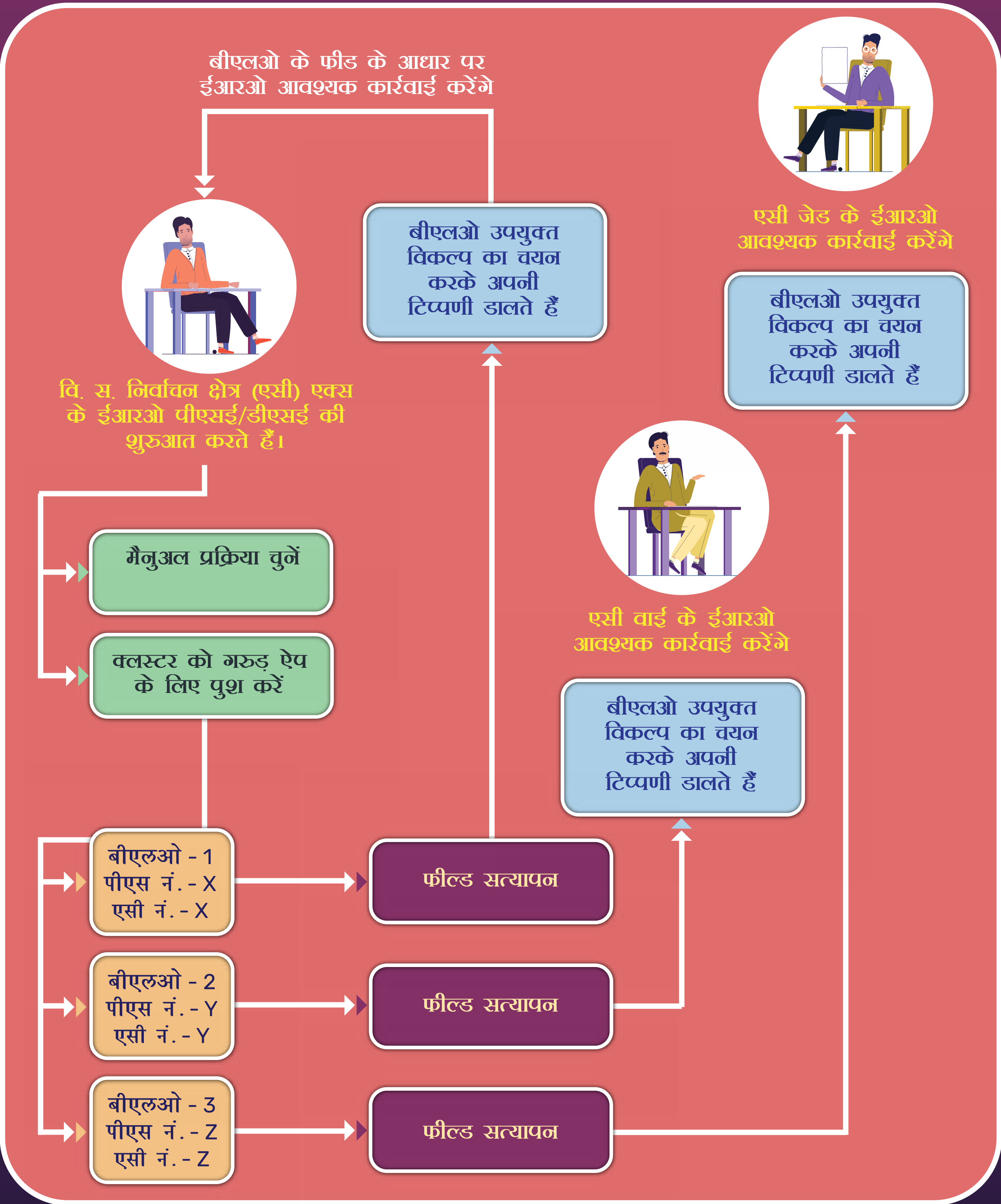

बातों बातों में

बीएलओ के साथ बातचीत

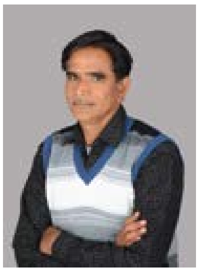

बीएलओ बसंती लाल भाग २३५, (वल्लभ नगर, उदयपुर)

वल्लभनगर, उदयपुर में ३० अक्तूबर, २०२२ को उप–निर्वाचन आयोजित किए जाने थे, मेरे बूथ भाग सं. २३५ को दिव्यांगजनों के अनन्य मतदान बूथ के रूप में चुना गया था। नि:शक्त एवं अन्य निर्वाचकों के साथ–साथ मतदान दल कार्मिक के लिए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ आश्वस्त न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) सुलभ कराने के लिए नगर पालिका कानोड की सेवाएं ली गई थीं।

बूथ को सजाया गया था और दिखने में आकर्षक बनाया गया था। हमने स्कूल के साधारण, सीधे–सादे रूपरंग को मनमोहक रूपरंग में रूपांतरित कर दिया जो मतदाताओं को बहुत भाया। बूथ पर एक विशिष्ट सेल्फी प्वाइंट सबको लुभा रहा था, जो निर्वाचकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहा।

कुशल टीम से मनोवांछित परिणाम हासिल करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। एसडीएम, बीडीओ, पीईईओ, नगरपालिका के अधिकारीगण, सभी ने स्वीप कार्यनीति में और दिव्यांगजनों को सहूलियत देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सभी पहल का व्यापक प्रचार–प्रसार करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

आखिरकार, हमारी मेहनत रंग लाई और जब परिणामों की घोषणा हुई, तो मेरे बूथ को दिव्यांग निर्वाचकों के लिए १००% मतदाता टर्नआउट का खिताब मिला। यह सचमुच जश्न मनाने, आनंदित करने वाली उपलब्धि रही!

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

सक्षम – ईसीआई

पीडब्ल्यूडी 2.0 ऐप है।

सक्षम ऐप नई डिजाइन, लेआउट, इंटरफेस एवं विशेषताओं के साथ उपलब्ध है ताकि दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सहज अभिगम्यता सुनिश्चित हो सके।

यह ऐप दिव्यांग मतदाताओं को सूचना देने, सेवा प्रदान करने और उनकी सहायता करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

नए आरूप (वर्जन) में अतिरिक्त विशेषताएं शामिल की गई हैं जैसे कि -

- अपने उम्मीदवार को जानें
- बूथ लोकेटर
- शिकायत निवारण/सूचना
- मतदान केन्द्र में सुविधाएं
- बूथ पर सहायता के लिए अनुरोध
- पिक एवं ड्रॉप के लिए अनुरोध
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- सुगम्य निर्वाचनों पर आडियो/वीडियो

एक क्लिक पर सहायता

- मतदाता के रूप में पंजीकरण कराएं
- अपना नाम ढूंढ़
- अपनी शिकायत दायर करें
- बूथ पर सुविधाए

Follow us on : | www.eci.gov.in